

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

श्रम आयुक्त,
उ0प्र0 कानपुर।

श्रम अनुभाग-3

लखनऊ::

दिनांक:: 21 जून, 2017

विषय:- असंगठित कर्मकारों के पंजीयन करने हेतु कर्मकारों के कार्य का प्रकार निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4624/असं0क्षेत्र-2017 दिनांक 17.03.2017 एवं पत्र संख्या-5446/असं0क्षेत्र-2017 दिनांक 30.05.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में गुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सांघाजिक सुरक्षा नियमावली, 2016 के नियम-23 के साथ पठित असंगठित कर्मकार सांघाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (अधिनियम संख्या-33, वर्ष 2008) की धारा-2(के),(एल),(एम) एवं (एन) में असंगठित कर्मकारों की परिभाषा दी गयी है। सुविधा एवं सुगमता के लिए पंजीयन हेतु कर्मकारों की श्रेणियों की सूची निम्नवत् है:-

1.	धोबी
2.	दर्जी
3.	माली
4.	मोची
5.	नाई
6.	बुनकर, कोरी, जुलाहा
7.	रिक्शा चालक
8.	घरेलू कर्मकार
9.	कूड़ा धीनने वाले कर्मकार
10.	हाथ ठेला चलाने वाला
11.	फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता
12.	चाय, चाट, ठेला लगाने वाले
13.	फुटपाथ व्यापारी
14.	हगाल, कुली
15.	जनरेटर/लाईट उठाने वाले
16.	केटरिंग में कार्य करने वाले
17.	फेरी लगाने वाले
18.	मोटर साईकिल/साईकिल मरम्मत करने वाले
19.	गैरेज कर्मकार
20.	परिवहन में लगे कर्मकार

LAVIKALP-2017 C.L.- 2 0 .doc

21.	आटो चालक
22.	सफाई कामगार
23.	ढोल/वाजा बजाने वाले
24.	टेन्ट हाउस में काम करने वाले
25.	मछुआरा
26.	तांगा/वैल गाड़ी चलाने वाले
27.	अगरवल्ली (कुटीर उद्योग) बनाने वाले कर्मकार
28.	गाड़ीवान
29.	घरेलू उद्योग में लगे मजदूर
30.	भड़गूजे (गुरा चना फोड़ने वाले)
31.	पशुपालन, मत्स्य पालन, गुर्गी, वतख पालन में लगे कर्मकार
32.	दुकानों में काम करने वाले ऐसे मजदूर (जो EPIF व ESI से आवर्त न हों)
33.	खेतिहर कर्मकार
34.	चरवाहा, दूध दूहने वाले
35.	नाव चलाने वाला (नाविक)
36.	नट-नटनी
37.	रसोईया
38.	हडडी बिनने वाले (हडड विन्ने)
39.	समाचार-पत्र वांटने वाले (हाकर)
40.	ठेका मजदूर (उOप्रO भवन, एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत एवं बोर्ड में कार्यरत आउटरोसिंग के कर्मकार एवं ESI व भविष्य निधि योजना में शामिल ठेका मजदूरों को छोड़कर)
41.	खड्डी पर कार्य करने वाले (रूत, रगाई, कताई, घुलाई आदि)
42.	दरी, कगवल, जरी, जरदोजी, चिकन कार्य।
43.	मीटशाप व पौल्ट्री फार्म पर कार्य करने वाले।
44.	डेयरी पर कार्य करने वाले श्रमिक।
45.	कॉच की चूड़ी एवं अन्य कॉच उत्पादों में स्व रोजगार कार्य करने वाले कर्मकार।

उपर्युक्त सूची उदाहरण स्वरूप है। उपर्युक्त सूची के अतिरिक्त कार्य करने वाले अन्य कर्मकार भी उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सांघाजिक सुरक्षा नियमावली, 2016 के नियम-23 के साथ पठित असांगठित कर्मकार सांघाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (अधिनियम संख्या-33, वर्ष 2008) की धारा-2(के), (एल), (एम) एवं (एन) में परिभाषित कर्मकार असंगठित कर्मकार के अंतर्गत सम्मिलित होंगे।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-705 (1)/36-03-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग, उ०प्र० शारान।
- ✓ 2. सगरत गण्डलायुक्त, उ०प्र० (द्वारा श्रम आयुक्त, उ०प्र०)।
3. सगरत जिलाधिकारी, उ०प्र० (द्वारा श्रम आयुक्त, उ०प्र०)।
4. निदेशक पंचायती राज उ०प्र० लखनऊ।
5. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग लखनऊ।
6. सगरत नगर आयुक्त/अधिसापी अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ०प्र०।
7. सगरत अपर श्रमायुक्त/उपश्रमायुक्त/सहायक श्रम आयुक्त, उ०प्र० (द्वारा श्रम आयुक्त)।
8. सगरत उप निदेशक/सहायक निदेशक कारखाना, उ०प्र० (द्वारा श्रम आयुक्त)।
9. श्रम अनुभाग- 1, 2 एवं 4
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राजीव शर्मा)
विशेष सचिव।